राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12719/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सुनील कुमार बोहरा बोहरों का मौहल्ला, गोविन्दगढ़, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 04-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री योगेश कुमार शर्मा, बी.ई.ई.ओ., उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-9-16 के द्वारा प्रबोधक भर्ती, 2008 में प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर में सामान्य, ओबीसी, एससी, एटी के कुल विज्ञापित पदों का विवरण, आज तक उपरोक्त वर्गों के कितने पदों पर नियुक्ति की गई, शेष कितने पद हैं, आदि के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 4-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि अपीलार्थी ने समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर लिया है एवं उन्हें सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, अपीलार्थी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर आयोग को भी सूचित कर दिया गया है कि वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-2-18 एवं 4-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण कर लिया गया है एवं वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त